

न्यायालय सहायक कलेक्टर राशमी, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्रमांक/सरिश्ता 5-08(158)2022/

दिनांक : 15/6/2022

निमित्त,

तहसीलदार

राशमी

विषय :- बाबत् पत्थरगढ़ी।

1 श्री प्रेमकुमार पिता रामसुख जाति ब्राह्मण उम्र बालिग निवासी सिंहाणा तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ राज0।



प्रार्थीगण

बनाम

- 1 श्री भैरूलाल पिता नाथु जाति ब्राह्मण उम्र बालिग निवासी सिंहाणा तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।
- 2 श्री बालुराम पिता कनीराम जाति ब्राह्मण उम्र बालिग निवासी सिंहाणा तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।
- 3 श्री चांदीबाई पुत्री रामचंद्र जाति ब्राह्मण उम्र बालिग निवासी सिंहाणा तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।
- 4 श्री देवजी पिता नाथु जाति ब्राह्मण उम्र बालिग निवासी सिंहाणा तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।
- 5 श्री गोपाल लाल पिता रामसुख जाति ब्राह्मण उम्र बालिग निवासी सिंहाणा तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।
- 6 श्री गोवर्धन पिता रामसुख जाति ब्राह्मण उम्र बालिग निवासी सिंहाणा तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।
- 7 श्री धापुबाई पत्नी स्व रामचंद्र जाति ब्राह्मण उम्र बालिग निवासी सिंहाणा तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।
- 8 श्री महावीर पिता बजरंग जाति ब्राह्मण उम्र बालिग निवासी सिंहाणा तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।
- 9 श्री कन्हैयालाल पिता बजरंग जाति ब्राह्मण उम्र बालिग निवासी सिंहाणा तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।
- 10 श्री भंवरलाल पिता रामसुख जाति ब्राह्मण उम्र बालिग निवासी सिंहाणा तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।
- 11 श्री मदनलाल पिता रामसुख जाति ब्राह्मण उम्र बालिग निवासी सिंहाणा तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।
- 12 श्री दीपक पिता माधुलाल जाति ब्राह्मण उम्र बालिग निवासी सिंहाणा तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।
- 13 श्री हीरालाल पिता उदा जाति ब्राह्मण उम्र बालिग निवासी सिंहाणा तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।
- 14 श्री भैयलाल पिता - जाति ब्राह्मण उम्र बालिग निवासी सिंहाणा तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।
- 15 श्री शोभालाल पिता माधवलाल जाति ब्राह्मण उम्र बालिग निवासी सिंहाणा तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र संख्या :- 158 /2022

-:: प्रार्थना पत्र बाबत् कराये जाने पत्थरगढ़ी ::-

उपरोक्त अनवान से संबंधित प्रकरण में आपको 1000/- रूपया शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता मौजा सिंहाणा पटवार हल्का सिंहाणा तहसील राशमी में स्थित आराजी संख्या 1642 की दोनों पक्षकारान की उपस्थिति में चारों ओर दिशाओं की पुख्ता पत्थरगढ़ी अगर मौके पर किसी प्रकार का कोई विवाद एवं किसी न्यायालय द्वारा कोई स्थगन प्रभावी न हो तो तथा मौके पर फसल खड़ी न हो तो पत्थरगढ़ी की जावें, मौके पर किसी प्रकार का विवाद होने पर पत्थरगढ़ी नहीं कि जावे एवं इसी आशय का पर्चा मौका प्रेषित करावें। कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मसौका पेश करे



(नीति चिंसीटा)
सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)